राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

क्रम संख्या व दिनांक हुक्म	ओंकार बनाम लक्ष्मण 1140/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 14/10/2025 को पेश हो।	
14.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20/06/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर खसरा नम्बर 441 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 437 की पूर्वी सीमा की तरफ रास्ता चाहा गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मुख्य आबादी में से रास्ता आता है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 441 के पास रेलवे लाईन है, जिससे रेस्पो. आवागमन कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि पश्चिम से रास्ता दिया जाए तो 2 मीटर दुरी कम है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने अपनी भूमि में से ही अन्य स्थान पर रास्ता दिये जाने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को ख़ारिज करते हुए मनमर्जी से रास्ता प्रदान किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिए बगैर ही एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2025 पारित करते हुए रास्ता कायम किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा अपनी भूमि में आवागमन हेतु जहाँ से रास्ता है, उसी रास्ते की रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मांग की है। अपीलार्थी रेल्वे की भूमि से रेस्पो. को रास्ता देना चाहते है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

औंकार बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1140/2025	

न्यायालय के समक्ष प्रेषित रिपोर्ट में सबसे छोटा रास्ते का अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पालना हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए रास्ता कायमी के आदेश पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का समुचित एवं विधिक निस्तारण किये बगैर एवं तथ्यों व आपत्तियो को विवेचित किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। कानूनन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों को विवेचित कर निस्तारण करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना विधिक प्रक्रियाओ के अनुसार आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर आपत्तियो को सरसरी तौर पर ही बिना विवेचन के अस्वीकार करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित की गयी है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2025 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर